राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु संघीय जर्मन गणराज्य और कनाडा के साथ समझौता

2626. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण के लिए ऋण और वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु 29 अप्रैल, 1988 को संघीय जर्मन गणराज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और राजस्थान कृषि जल निकासी परियोजना के लिए सहायता दिए जाने हेतु 13-2-1990 को कनाडा के साथ एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समझौतों के कार्यान्वयन के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और अनुदान के रूप में अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उस धनराशि की सहायता से कितना कार्य किया गया है और उससे कितनी कृषि भूमि को लाभ मिलेगा; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में भूमि के सुधार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां। राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना को धनराशि प्रदान करने के लिए 29-4-1988 को संघीय जर्मन गणराज्य के साथ 12.3 मिलियन डी एम (12.33 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता तथा 2.7 मिलियन डी एम (2.70 करोड़ रुपए) की अनुदान सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान सरकार परियोजना को क्रियान्वित करेगी और इस परियोजना से राज्य में 61,200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्य को बढ़ाने की परिकल्पना की गयी है।

राजस्थान कृषि जलनिकास अनुसंधान परियोजना को धनराशि प्रदान करने के लिए कनाडा सरकार के साथ 13-2-1990 को 57.5 मिलियन कनाडा पौण्ड (लगभग 84.5 करोड़ रुपए) की अनुदान सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान क्षेत्र के चम्बल कमान क्षेत्र मे 25,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि में कृषि भूमि और जल प्रबंध पद्धतियों में सुधार करने के वास्ते परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान सरकार तथा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ख) राजस्थान कृषि अनुसंधान परियोजना हाल ही में शुरू की गयी है।

संघीय जर्मन गणराज्य से सहायता प्राप्त राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 17 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 15 पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 1990 तक संघीय जर्मन गणराज्य से राजस्थान सरकार ने प्रतिपूर्ति के रूप में 73.897 लाख रुपए की राशि प्राप्त की है। इन लघु सिंचाई परियोजनाओं में किए गए कार्य की मात्रा निम्नवत् है.—

लघु सिंचाई स्कीमों के बंधों व भूमि संबंधी कार्य :

पूरे हुए	2 संख्या
85 से 90 प्रतिशत तक	4 संख्या
40 से 50 प्रतिशत तक	3 संख्या
15 से 25 प्रतिशत तक	3 संख्या
कार्य शुरू किया गया	3 संख्या
कार्य शुरू नहीं किया गया	2 संख्या
	17 संख्या

लघु सिंचाई स्कीमों में नहरों में भूमि संबंधी कार्य

50 से 60 प्रतिशत तक	2 संख्या
कार्य चल रहा है	3 संख्या
कार्य शुरू किया जाना है	12 संख्या

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा संरक्षण संबंधी किए गए उपायों पर 55.37 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 3042 हेक्टेयर खारे और क्षारीय मृदा क्षेत्र के पुनरुद्धार पर 23 लाख रुपए व्यय किए गए।

Large/Medium Irrigation Projects pending clearance

2637. SHRI VITHAL RAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRI JAGESH DESAI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) how many large and medium irrigation projects are pending with his Ministry for clearance:

(b) for how many years these are pending and by what time these are likely to be cleared; and

(c) what are the projects from Maharashtra that are pending with the Central Government for clearance at present and what are the reasons therefor and by when these are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Total proceeds of handloom cess collected for 1989-90

2628. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total proceeds towards handloom cess levied on mill cloth under the Additional Excise Duty Act, 1953 collected during 1989-90;

(b) what is the amount spent for handloom industry during 1989-90: and

(c) what is the amount spent for Khadi and village industries during 1989-90?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) No separate statistics is maintained for mill cloth. Total proceeds from handloom cess on on all cloth was Rs. 10.31 crores during 1989-90. (Provisional)

(b) The amount spent for handloom industry during 1989-90 was Rs. 28.63 crores under Plan and Rs. 191.44 crores under Non Plan.

(c) Total amount provided during 1989-90 to Khadi and Village Industries Commission for the development of Khadi and Village Industries was Rs. 175 crores under Plan and Rs. 229.5 crores under Non Plan.

Levy of excise duty on cut pieces

2629. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to levy excise duty (normal and additional) on the cut pieces coming out of the textile mills in large quanties to improve the financial resources and reduce its competition with handloom products;

(b) if so, by when such a proposal is likely to be implemented; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) Under the Central Excise Tariff, there is no general exemption from excise duty on cut pieces. Some selective exemption is, however, available to certain varieties of cut pieces commonly known as 'chindies' and fabrics of narrow width. There is no proposal to levy excise duty on such exempted varieties of cut-pieces.